राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

क्रमांक :- निस./2021/26 दिनांक: 03/05/2021

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पूर्व जारी आदेश दिनांक 24-04-2021 के अनुसार दिनांक 03 मई, 2021 तक राज्य आयोग कार्यालय को बंद रखने का निर्णय लिया गया था | इसी क्रम में गृह(ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आदेश सं. प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 30-04-2021 के तहत महामारी का रेड अलर्ट घोषित होने के कारण दिनांक 17-05-2021 तक सभी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी कार्यस्थल बंद रहेंगे |

उक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग कार्यालय को दिनांक 17-05-2021 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है | इस अवधि में नये परिवादों की वर्चुअल सुनवाई पूर्व की भांति "वर्क फ्रॉम होम" के माध्यम से जारी रहेगी |

(विश्राम मीणा)
सचिव
राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,
जयपुर |